आदेशिका

न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राजस्थान)

राजस्थान राज्य बनाम **पूरीलाल वगै.**

सेशन प्रकरण संख्या- **37/2022 सीआईएस नं. - 37/2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12.06.2026	लोक अभियोजक उपस्थित है। अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र, मदनलाल बर उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण उपस्थित है। शेष बहस सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्तगण 1. पूरीलाल पुत्र गोपाल आयु 59 वर्ष, 2. रामचन्द्र पुत्र प्रहलाद आयु 42 वर्ष व 3. मदनलाल पुत्र महावीर आयु 28 वर्ष, समस्त निवासीगण– भूमरी, पुलिस थाना–सारोलाकलां, जिला–झालावाड़ (राज.) को धारा 307, 307/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त तीनों अभियुक्तगण को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र व मदनलाल को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाए जाने पर तुरंत दण्डादेश देने के बजाय यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) के तहत 50,000/–रुपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की एक जमानत, एक वर्ष की अवधि के लिए शांति व सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं जब भी न्यायालय द्वारा तलब किया जावे, उपस्थित आने एवं दण्डादेश प्राप्त करने की शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा अभियोजन व्यय के रूप में प्रत्येक अभियुक्त 10,000/–रुपये (कुल 10,000×3= 30,000/–रुपये) न्यायालय में जमा करावें, तो उन्हें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाये। प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पड़ी जब्तशुदा सामग्री (यदि कोई हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक) 2018 के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा। हस्तगत प्रकरण में परिवादी/आहतगण के शरीर पर कोई स्थाई निर्योग्यता उत्पन्न नहीं हुई है. अतः ऐसी स्थिति में आहतगण को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अधीन कोई क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। अभियुक्तगण रामचन्द्र तथा मदनलाल की ओर से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437 (क) के प्रावधानों की अनुपालना में तीस–तीस हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश किए जा चुके हैं, जो कि आज से आगामी छः माह तक प्रभावी रहेंगे। आज अभियुक्त पूरीलाल	रामचन्द्र मदनलाल पूरीलाल

अशोक चौधरी
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़ (राज.)

की ओर से धारा 437 ए द.प्र.सं. के प्रावधानों की अनुपालना में जमानत–मुचलके पेश किये जिन्हें बाद जांच तस्दीक किया गया। शामिल मिसल हो। इनके माध्यम से अभियुक्तगण को पाबंद किया जाता है कि इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तलब किए आने पर वे स्वयं को अविलम्ब प्रस्तुत करेंगे।

मुताबिक निर्णय अभियुक्तगण पूरीलाल, रामचन्द्र तथा मदनलाल की ओर से अपराधी परीवीक्षा अधि. की धारा 4(1) के तहत 50000/– रूपये का स्वयं का मुचलका व इसी राशि का एक जमानत एक वर्ष की अवधि के लिए शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए जमानत मुचलके पेश किये जिन्हे बाद जांच तस्दीक किये गये। उक्त अभियुक्तगण की ओर से कुल 10,000×3= 30,000/–रुपये अभियोजन व्यय स्वरूप जमा कराये जो जरिये ई–चालान जी.आर.एन. नंबर 125041215 से जमा किए गये। जिसे संबंधित लिपिक द्वारा सफलतापूर्वक डिफेस किया गया। शामिल मिसल हो। अभियुक्तगण रूबरू अदालत रिहा किया गया।

पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

आलोक सुरोलिया
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़ (राज.)